यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता देहरादून के माह 06/2015 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गोविंद कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 28.07.2017 से 09.08.2017 तक श्री के.एल.भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एस.के. सन्हा एवं श्री जी.के.बत्रा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियो द्वारा दिनांक 16.06.2015 से 23.06.2015 तक श्री डी.के. पिपलानी वरि0 लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें **राजस्व हेतु** माह 04/2013 से 05/2015 तक **एवं व्यय हेतु** माह 04/2013 से 05/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में **राजस्व हेतु** माह 06/2015 से 03/2017 तक **एवं व्यय हेतु** माह 06/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः वानिकी कार्य एवं चकराता का क्षेत्र।

3. (ii) (अ) <u>**राजस्व का विवरणः**</u> विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

<u>वर्ष</u>	<u>अर्जित राजस्व (रू लाख में)</u>
2014-15	727.76
2015-16	550.03
2016-17	479.25

(ii)(ब) **बजट** <u>का विवरण</u>

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना (`)	गैर स्थापना (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)		
2014-15	---	---	896.97	896.26	128.49	128.48	---	-----
2015-16	----	----	733.47	732.69	75.22	74.98	----	---
2016-17	-----	-----	974.71	899.48	91.56	83.50	-----	----

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	बचत	अ ध क्य
2015-16	इंटि फकेसन आफ मेनेजमेंट	-	12.00	12.00		
2016-17		-	18.18	18.18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रभागीय वना धकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: लागू नहीं है।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'अ'

प्रस्तर- 01 अवैध खनन तथा परिवहन पर अर्थदण्ड कम वसूली कए जाने के फलस्वरूप `11.38 लाख की राजस्व क्षति।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर- 01 सीसा के मान से कम प्राप्ति होने के परिणामस्वरूप `4.02 लाख की राजस्व क्षति।

प्रस्तर- 02 लीज वन भू म `0.4219 है अति क्र मत होने के बावजूद कराया वसूल न कया जाना है 0.98 लाख।

शून्य

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर - 03 लेन्टाना उन्मूलन कार्य तीन वर्षो तक लगातार नहीं कये जाने के फलस्वरूप `6.60 लाख का निष्फल व्यय।

प्रस्तर- 04 वृक्षारोपण पर निष्फल एवं अधोमानक` 6.00 लाख।

प्रस्तर 05 अनिय मत व्यय `21.36 लाख।

प्रस्तर06 पौध तैयार करने पर निष्फल व्यय `43.30 लाख।

राजस्व से संबन्धित

भाग-02 अ

प्रस्तर- 01 अवैध खनन तथा परिवहन पर अर्थदण्ड की कम वसूली किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 12.82 लाख की क्षति

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1590/ VII-1/2015/ 158-खा/ 2004 दिनांक 07.10.2015 के अनुसार प्रदेश में खनिजो के परिवहन हेतु वाहनो की भार क्षमता के अनुसार अवैध परिवहन पर आरोपित की जाने वाली धनराशि को शमन किए जाने के संबंध में (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण, अतिरिक्त प्रावधान किए गए जिस में वाहनो के प्रकार के अनुसार अवैध परिवहन में पकड़े गए वाहनो (प्रकार के अनुसार) तथा वाहन में लदा हुआ खनिज की रायल्टी की गणना की जाएगी।

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग चकराता के अंतर्गत वन क्षेत्राधिकारी, खनन इकाई के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि वभाग द्वारा अवैध परिवहन में पकड़े गए वाहनो से रायल्टी कि वसूली नहीं की गयी इसके अतिरिक्त संलग्नक में दिये गए वाहनो (06/15 से 03/17 तक) से उनके प्रकार के अनुसार अर्थदण्ड की धनराशि नहीं ली गयी है। जिससे वभाग को 12.82 लाख की धनराशि कम प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त खनिज़ पर ली जाने वाली रायल्टी की भी वसूली नहीं की गई। (विवरण संलग्न है)।

लेखापरीक्षा में इंगित कए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि भारतीय वन अधिनियम (उत्त0 संशोधन) 2001 द्वारा धारा 42 के उपधारा (1) के अनुसार 5000 की वसूली की जा रही है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उप- खनिज (**Minor Minerals)** भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -2(4) के अन्तर्गत **Forest Produce** नहीं है जिस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -42 लागू नहीं होती है। साथ ही माइन्स एण्ड मिनिरल (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, 1957 के अधीन लागू उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 की धारा-1(4) में यह उल्लेख किया गया है कि यह राज्य में उपलब्ध समस्त उप खनिजो पर प्रवृत्त होगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के प्रकाश में लाया जाता है।

राजस्व से संबन्धित

भाग दो ब

प्रस्तर–1: लीसा के मानक से कम प्राप्ति होने के परिणामस्वरूप `4.02 लाख की राजस्व क्षति।

प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता के लीसा से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2015 के दौरान 48939 लीसा के **घावों** दोहन का कार्य किया गया। इन घावों पर निर्धारित मानक 3.00 किग्रा प्रति घाव की दर से 1468.17 कुन्तल लीसा का उत्पादन होना निर्धारित था। जबकि वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से 1315.34 कुन्तल ही उत्पादन हुआ जिसके परिणामस्वरूप 152.83 कुन्तल लीसा का कम उत्पादन हुआ है जिससे वर्ष के दौरान ₹ 4,02,401 का राजस्व कम प्राप्त हुआ। जिसका विवरण निम्नवत है।

कुल घावों की संख्या जिन पर कार्य किया जाना था	कुल घावों की संख्या जिन पर कार्य हुआ	प्रति घाव पर निर्धारित प्राप्ति किग्रा में	जिन घावों पर कार्य हुआ उन पर निर्धारित मानक से उत्पादन	वास्तविक उत्पादन (कुन्तल मे)	निर्धारित मानक से कम उत्पादन	वर्ष के दौरान लीसा का औसत बिक्री मूल्य	वर्ष के दौरान औसत उत्पादन शुल्क प्रति कुन्तल	राजस्व प्राप्ति	राजस्व क्षति
48,939	48,939	3.00	1,468.17	1,315.34	152.83	6,000	3,367	2,633 (6000-3,367)	4,02,401 (152.83 X 2633)

उक्त को इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि लीसा उत्पादन स्थानीय जलवायु एवं प्राकृतिक कारको पर निर्भर है अत्यधिक गर्मी से लीसा घाव प्रभावित होते है जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लीसा टिपान का कार्य श्रमिको की कार्य कुषलता पर भी निर्भर करती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उपरोक्त दिये कारणों को ध्यान में रखते हुए ही वशेषज्ञों की Committee द्वारा लक्ष्य निर्धारित कया जाता है।

राजस्व से संबन्धित

भाग दो ब

प्रस्तर- 02 लीज पर दी गयी वन भू म 0.4219 हेक्टेयर का कराया वसूल न कया जाना ₹ 0.98 लाख

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 156/I-1-2006-(500)/2002 दिनांक 09.09.2005 के द्वारा वन भू म पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भू म का मूल्य (प्री मयम)/वा र्षक लीज रेंट का निर्धारण के संबंध मे निर्देश दिये गए। जिसमे वन संरक्षण अ धनियम 1980 लागू होने के पूर्व वन वभाग द्वारा व भन्न प्रयोजनों हेतु आर क्षत वन भू म पर स्थायी/दीर्घकालीन एवं अस्थायी/ दीर्घकालीन लीजे स्वीकृत की गयी थी। वन संरक्षण अ धनियम 1980 लागू होने के उपरांत कालातीत लीजों के नवीनीकरण एवं नई लीजों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं अ भलेखो की नमूना जांच मे पाया गया क प्रभाग मे 42 लीज 0.4219 हे0 वन भू म पर दी गई थी। सभी लीज कालातीत हो चुकी थी। इनका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। प्रभाग द्वारा न तो इन्हे खाली कराया गया है, न ही कराया 97,**652** वसूल कया गया इस प्रकार 0.4219 हे0 वन भू म अतिक्र मत थी।

उक्त को इं गत कए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया क उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 156/I-1-2006-(500)/2002 दिनांक 09.09.2005 के अनुपालन मे सभी लीज धारको को लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु संबन्धित वन क्षेत्रा धकारियों के माध्यम से लीजों के नवीनीकरण प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध करने हेतु नोटिस जारी कए गए, लीज धारको से व धवत प्रारूप मे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। लीज नवीनीकरण प्रस्ताव प्राप्त न होने पर लीज कराया वसूल नहीं हो सका है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क उक्त शासनादेश के जारी कए जाने के लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी न तो लीज का नवीनीकरण कराया गया न ही लीज की वन भू म को खाली कराया गया था। अतः वभागीय उदासीनता के कारण 0.4219 हे0 वन भू म अतिक्र मत थी तथा न ही इसे खाली कराया गया था एवं न ही कराया 97,**652** वसूल कया गया था।

प्रकरण उच्चा धकारियों प्रकाश में लाया जाता है।

(व्यय)

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-03 लेंटाना उन्मूलन कार्य तीन वर्षो तक लगातार नहीं कए जाने के फलस्वरूप ₹ 6.60 लाख का निष्फल व्यय।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवशयक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के **पश्चात** भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज **प्रकाश** एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता देहरादून के अ भलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया प्रभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभा वत क्षेत्र के उपचार तथा उन्मूलन हेतु क्रमश 208, 21 तथा 55 हेक्ट0 पर ₹ 4.00 लाख, ₹ 0.60 लाख तथा ₹ 2.00 लाख का व्यय प्रथम वर्ष के लए कया गया है जब क द् वतीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष हेतु कोई उपचार कार्य नहीं कया गया जिसका ववरण निम्न ल खत है।

वर्ष	लेंटाना उपचार तथा उन्मूलन (हे0 मे)	कुल व्यय (` लाख में)	प्रथम वर्ष उपचार एवं उन्मूलन कार्य	द् वतीय वर्ष उपचार एवं उन्मूलन कार्य	तृतीय वर्ष उपचार एवं उन्मूलन कार्य
2013-14	208	4.00	**208**	--	--
2014-15	21	0.60	21	--	--
2015-16	55	2.00	**55**	--	--

उपरोक्त ता लका से स्पष्ट है क प्रभाग द्वारा 2013-14 से 2015-16 तक के दौरान लेंटाना के कार्य को द् वतीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के परिणामस्वरूप ₹ 6.60 लाख का व्यय निष्फल रहा।

उक्त को इं गत कए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क बजट की मांग की गयी थी बजट का आबंटन न होने के कारण अगले वर्षो मे उपचार नहीं कया जा सका।

उत्तर मान्य नहीं था क्यों क लेंटाना उन्मूलन का कार्य लगातार तीन वर्षों तक लया जाना चाहिए था। इस प्रकार तीन वर्षों तक लगातार लेंटाना उन्मूलन संबंधी कार्यवाही न कए जाने से 6.60 लाख के निष्फल व्यय हुआ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

(व्यय)

भाग दो ब

प्रस्तर - 04 वृक्षारोपण पर निष्फल एवं अधोमानक व्यय ₹ 6.00 लाख

(अ) विभाग के आदेश (जनवरी 1994) के द्वारा पौध रोपण के सफलता मानक निर्धारित कए गए हैं जिनके पूर्ण न होने पर जिम्मेदार अ धकारियों पर वभागीय कार्यवाही का निर्देश भी दिया गया है। प्रभाग की लेखापरीक्षा (अगस्त 2017) में यह पाया गया क प्रभाग की देवधार, रीवर एवं कनासर रेंज में तीन वृक्षारोपण क्षेत्रों में वृक्षारोपण की सफलता की दर मानक से कम थी और 3399 पौध मानक से अ धक मृत हुई जिसके कारण 2.43 लाख का (संलग्न ववरण के अनुसार) निष्फल व्यय हुआ। इस पर पूर्वोक्त आदेश के अनुसार ज़िम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही की जानी थी परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसके वषय में इं गत कए जाने पर प्रभागीय वना धकारी ने बताया क उक्त वन क्षेत्रा धकारियों से स्पष्टीकरण लया गया है एवं उच्च अ धकारियों से निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही क जाएगी।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(ब) उत्तराखण्ड में प्रभावी वृक्षारोपण संहिता के अनुसार वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य माह नवम्बर से प्रारंभ होकर माह फरवरी तक समाप्त हो जाना चाहिए ताकि खुली मिट्टी व गड्ढे को वेदरिंग हेतु 3–4 माह का समय मिल जाता है। अग्रिम मृदा कार्य की गुणवत्ता उचित रहने से वृक्षारोपण की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

प्रभाग के माह मार्च 2017 के वाउचरों की जांच में पता चला कि रेंज में गड्ढे खुदान का ` 3.57 लाख मूल्य का कार्य मार्च 2017 में संपन्न किया गया। ऐसा करके न केवल वृक्षारोपण संहिता में उल्लिखित विभागीय मानकों का उल्लंघन किया गया साथ ही इसके कारण से वृक्षारोपण की सफलता भी प्रभावित होगी जैसा कि प्रभाग में पूर्व के वृक्षारोपण की अति न्यून सफलता दर से ज्ञात होता है।

इसके वषय में इं गत कए जाने पर प्रभागीय वना धकारी ने बताया क बजट मार्च माह में प्राप्त होने के कारण मृदा कार्य मार्च तक सम्पन्न करवाए गए हैं। इससे लेखापरीक्षा निष्कर्षों क पुष्टि होती है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

व्यय

भाग दो ब

प्रस्तर 05- अनियमित व्यय ₹ 21.36 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रौक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹ दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जाए।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता की रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 गर्ग कान्ट्रेक्ट सर्विस द्वारा जुलाई 2015 से मार्च 2017 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी थी तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 07/2016 से 03/2017 तक ₹ 21,35,797 का भुगतान किया गया था। मै0 गर्ग **कानट्रेक्ट** सर्विस श्रम शक्ति बिना निविदा/**कोटेशन** के आमंत्रण के बिना लिया गया था। जबकि उक्त सर्विस प्राप्त किये जाने उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रौक्युरमेंट) नियमावली, 2008 निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके। नियमानुसार निविदा का आमंत्रण न करके ₹ 21,35,797 का अनियमित व्यय किया गया था।

उक्त को इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च अधिकारियों से **निर्देशानुसार** किया गया है एवं यह पूछे जाने पर कि स्टाफ को भुगतान किये गये न्यूनतम मजदूरी, कुल पारिश्रमिक पर ई0पी0एफ0 25.36 प्रतिषत, ई0एस0आई0 6.50 **प्रतिशत** की **धनरा श** सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में एजेन्सी द्वारा जमा कराया जा रहा है, को किस प्रकार **सुनिश्चित** किया जा रहा है के संबंध में में अवगत कराया गया कि आपूर्ति कर्ता से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध करा दी जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नही था क्योकि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रौक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 61 (2) का अनुपालन नही किया गया था अतः ₹ 21.36 लाख़ का अनियमित व्यय किया गया था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय

भाग दो ब

प्रस्तर- 06 पौध तैयार करने पर निष्फल व्यय रु. 43.30 लाख।

वृक्षारोपण की सफलता के लए यह आवश्यक है क उ चत लंबाई, मोटाई और आयु की पौध को सही मौसम में रो पत कया जाए। वभाग द्वारा अपनाए जा रहे मानकों के अनुसार पौधों को अ धकतम तीन वर्ष तक ही पौधशाला में रखा जाता है और यह अव ध समाप्त होने से पहले ही उन्हें रो पत कर दिया जाता है ता क पौधे पौधशाला में ही जड़ न पकड़ लें क्यों क जड़ पकड़ लेने के पश्चात उनको वृक्षारोपण स्थान पर ले जाने के समय जड़ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे वृक्षारोपण के उपरांत उसकी जी वतता की सफलता न्यूनतम हो जाती है।

प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया क वगत तीन वर्षों क अव ध में पौधशाला में उपलब्ध पौध तथा उपयो गत पौध का ववरण निम्न प्रकार है-

वर्ष	अप्रैल मे अवशेष पौध	वर्ष के दौरान उपयो गत पौध	अवशेष पौध (अप्रैल 2014 के कुल पौध के अनुसार अवशेष पौध)	वर्ष मे नई पौध उगाई गयी	कुल अवशेष पौध
2014-15	1108053	235497	872556	12752	885308
2015-16	872556	166539	706017	8306	714323
2016-17	706017	104563	601454	40000	641454
योग				**61058**	
तीन वर्ष से अ धक आयु की पौध= 641454 - **61058** = 580396					

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क प्रभाग के पास कम से कम 580396 पौध ऐसी अवशेष है जिसकी आयु तीन वर्ष या उससे अ धक है। इनके वृक्षारोपण करने से वृक्षारोपण के उपरांत जी वतता की सफलता न्यूनतम हो जाती है जैसा की पूर्व के प्रस्तर में देखा जा सकता है। अतः, उक्त पौध पर कया गया कुल व्यय (वभागीय मानक रु. 7.46 प्रति पौध के हिसाब से) रु. 43.30 लाख निष्फल रहा। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2015-16 मे 58600 पौध को सशुल्क (मूल्य 10 प्रति पौध) वतरित कया गया जब क राजस्व सूचना मे केवल ` 2,44,183 की प्राप्ति दर्शायी गयी थी। वास्तव मे उपरोक्त पौध का मूल्य ` 10 प्रति पौध के अनुसार ` 5,86,000 होना चाहिए। इस प्रकार ` 3,41,817 की कम प्राप्ति दर्शायी गयी थी।

उक्त को इं गत कए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया क तीन वर्ष से अ धक की आयु की पौध को वृक्षारोपण हेतु प्रयुक्त कया जा सकता है। राजस्व की कम प्राप्ति के वषय मे प्रभाग द्वारा आश्वासन दिया क इस वषय मे जांच कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यो क तीन वर्ष से अ धक की आयु की पौध का रोपण करने से जी वतता का उ चत प्रतिशत प्राप्त नहीं होगा तथा पौध के मूल्य के साथ-साथ वृक्षारोपण पर कया गया व्यय भी निष्फल हो जाएगा।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अं कत कया जाय)

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
49/2015-16	-	01,02,03

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	शून्य			

व्यय से संबं धतः वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
49/2015-16	02	01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वना धकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	डा0 दिवाकर सन्हा	प्रभागीय वना धकारी
(ii)	श्री दीप चन्द्र आर्य	प्रभागीय वना धकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वना धकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

SR N0 of Register	Date of Report	Vehicle No.	Type of vehicle	Commudity if mention	Penalty imposed	E-3 No & Date	Penalty liquidate	difference
	2015-16							
	09.04.15	UK-16 2522	Tractor	Sand	6000	E-3 No 47 08.06.15	50000	44000
4	05.08.15	UK-16 2680	Tractor	Not mentioned	10000	83/334 10.11.15	50000	40000
5	05.08.15	AF	Tractor	Not mentioned	12000	84/334 23.01.16	50000	38000
6	06.08.15	UK-07 AS/6405	Tractor	Not mentioned	10000	27/344 01.03.16	50000	40000
7	06.08.15	AF	Tractor	-	10000	28/344 01.03.16	50000	40000
9	02.10.15	JH-06-B	Dumple	Sand	50000	68/334 21.10.15	2,00,000	150,000
10	02.10.15	HR-68A8525	Dumple	-	50000	69/334 21.10.15	2,00,000	150,000
11	02.10.15	UK-16 CA 0118	Truck	Sand	50000	70/334 21.10.15	1,00,000	50000
12	02.10.15	UK-07 CA-3748	Truck	Sand	50000	71/334 21.10.15	10000	50000
13	03.10.15	AF	Tractor	-	25000	72/334 21.10.15	50000	25000
14	05.10.15	AF	Tractor	Sand	25000	73/334	50000	25000
15	31.10.15	UK-07 CA 5886	Dumple	Sand	50000	74/334 02.11.15	2,00,000	150000
18	08.12.15	AF	Tractor	Sand	10000	95/334 08.12.15	50000	40000
19	06.02.16	UK-16/ 6068	Tractor	Sand	15000	07.02.16	50000	35000
20	06.02.16	AF	Tractor	Sand	15000	15/334 07.02.16	50000	35000
21	06.02.16	UK-16/ 2285	Tractor	Sand	15000	/334 07.02.16	50000	35000
22	13.02.16	UK-07 AX 7183	Tractor	Sand	15000	40/334 01.04.16	50000	35000
23	17.02.16	UK-16/ 7518	Tractor	Sand	10000	41/334 01.04.16	50000	40000

24	01.03.16	UK-16/ 5712	Tractor	Sand	10000	/344 25.11.16	50000	40000
25	04.03.16	UK-07 BA/ 9448	Tractor	Sand	20000	29/344 07.03.16	50000	30000
26	04.03.16	UK-16/7467	Tractor	Sand	20000	30/344 07.03.16	50000	30000
	2016-17							
1	26.04.16	UK-16/7466	Tractor	-	20000	E-3 50/344 02.05.16	50000	30000
2	16.05.16	UK-16/ 0740	Tractor	-	10000	52/344 18.05.16	50000	40000
3	17.05.16	UK-16/ 1091	Tractor	-	15000	53/344 18.05.16	50000	35000
4	17.05.16	UK-07 AT/ 5625	Tractor	-	15000	53/344 18.05.16	50000	35000
11	02.03.17	UK-16A/ 2327	Tractor	-	5000	5/349 02.03.2017	15000	10000
12	02.03.17	UK-07 CA/7686	Tractor	-	5000	6/349 06.03.17	15000	10000
								12,82,000